



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com)

आर सी ओ क्रमांक उद्यान / 2019 / 4

31.03.2020 एवं आगे के लिये  
औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी के  
बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम, ढेचा ( रोपण सामग्री )  
के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक  
25.06.2019 अपरान्ह 2.00 बजे तक

उप महाप्रबंधक (उद्यान)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohobpl@gmail.com

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2019-20/.....

भोपाल, दिनांक 03.06.2019

### रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) सूचना

निगम द्वारा 31.03.2020 एवं आगे के लिये निगम द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते हैं :

आर सी ओ क्रमांक	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
उद्यान/2/2019	संकर सब्जी एवं पुष्प बीज (Hybrid vegetable and Flower seed)	रु 11,800 /..	रु 2,00,000 /..
उद्यान/3/2019	प्रमाणित बीज (Certified seed)	रु 5900 /..	रु 1,00,000 /-
उद्यान /4/2019	औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा ( रोपण सामग्री )	रु 5900 /..	रु 1,00,000 /-

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/प्रदायक से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 25.06.2019 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) तथा निगम की वेबसाईट <http://mpagro.org> पर उपलब्ध है। दस्तावेज [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से अपलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर डाउनलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

**रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) संकर सब्जी एवं पुष्प बीज**  
**Rate Contract Offer (RCO) Hybrid vegetable and Flower seed**

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 26 पृष्ठ का है :

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ट 1	5
2	रेट कान्ट्रेक्ट की प्रक्रिया	परिशिष्ट 1	5
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ट 1	5
4	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट 2	7-12
6	तकनीकी योग्यता एवं दस्तावेज जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है एवं लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियां	परिशिष्ट 3	13
7	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 4	14
8	बीज के मापदण्ड	परिशिष्ट 5	15-17
9	ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में	परिशिष्ट 6	18
10	वित्तीय ऑफर का प्रारूप	परिशिष्ट 7	19 -21
11	अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ट 8	22
12	अनुबंध का प्रारूप का परिशिष्ट	परिशिष्ट 9	23
13	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ट 10	24
14	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र	परिशिष्ट 11	25
15	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ट 12	26



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

निविदा में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:—

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट 1

### अस्वीकरणीय (DISCLAIMER)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक 10.06.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com) पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय दिनांक 13.06.2019 को [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) एवं <http://mpagro.org> पर अपलोड किया जाएगा। दिनांक 10.06.2019 अपरान्ह 2.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है।

### 2. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

प्रक्रियाओं का विवरण	नियत दिनांक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर का डाउनलोड किया जाना	दिनांक 04.06.2019 से दिनांक 25.06.2019 अपरान्ह 1.00 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति को ई-मेल के माध्यम से <a href="mailto:mpagrohobpl@gmail.com">mpagrohobpl@gmail.com</a> पर भेजने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 10.06.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.06.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर वेबसाईट पर आफरकर्ता द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 25.06.2019 अपरान्ह 2 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति (हार्ड कॉपी) निगम के मेजेनार्इन फ्लोर स्थित निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 25.06.2019 अपरान्ह 2 बजे तक (संकल्प धनराशि राशि आन लाईन जमा करना है। बिना संकल्प धनराशि के किसी भी आर.सी.ओ को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा)।
वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों को खोला जाना	दिनांक 26.06.2019 अपरान्ह 3.30 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	सूचना निगम की वेबसाईट पर दी जाएगी।

### 3. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को सामग्री का प्रदाय विकासखण्ड स्तर तक करना होगा।

#### 4. आफरकर्ता को निर्देश :

सभी योग्य आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे ।

डिजीटल सिग्नेचर के साथ रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। यदि ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर अपलोड नहीं किया जाता है तथा हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फॉर्मेट में अपलोड करे । अन्य किसी फॉर्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आर सी ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी दिनांक 25.06.2019 अपरान्ह 2 बजे तक निगम मुख्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करे।

सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों । आर.सी.ओ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय में कोई परिवर्तन सामान्यतः नहीं किया जाएगा ।

उप महाप्रबंधक उद्यान



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

### रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की सामान्य शर्तें

31.03.2020 एवं आगे के लिये (बिन्दु क्रमांक 3.4 एवं 13-स) अनुसार परिशिष्ट 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले टी एल बीज एवं परिशिष्ट 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से परिशिष्ट क्रमांक 7 में दरें आमत्रित की जाती है।

दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी। वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट क्रमांक 3**, ऑफरकर्ता को ऑफर प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ट क्रमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न हैं।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

#### 1. ऑफर प्रस्तुत करने की आहर्ता

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट क्रमांक 6** अनुसार रहेंगी।

#### 2. आर सी ओ प्रपत्र का क्य

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य **परिशिष्ट क्रमांक 5** (वापसी योग्य नहीं) है तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड कर सकेंगे

#### 3. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त

- 3.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 7 अनुसार दी जाना आवश्यक है।
- 3.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 3.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की **शर्त क्रमांक 20** के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 3.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से 31.03.2020 तक अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेंगी।
- 3.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

#### 4. ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (अ) वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कॉपी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना **आवश्यक होगी**। ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति को अंतिम मान्य किया जाएगा।
- (ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा। यदि उत्पादक संस्था एवं उनके अधिकृत विक्रेता, दोनों ही के द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे दोनों ऑफर्स को अमान्य किया जाएगा।
- (स) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के **परिशिष्ट क्रमांक 7** में दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा। शर्त क्रमांक 4 (ड) तथा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार

सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आफरकर्ता के आफर को निरस्त किया जावेगा।

- (द) आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि परिशिष्ट क्रमांक 5 अनुसार होगी जो आन लाईन प्रस्तुत करना है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत किया गया आफर मान्य नहीं किया जावेगा।
- (ड) प्रदाय हेतु तकनीकी विवरण "लिफाफा क्रमांक 1 में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण **परिशिष्ट क्रमांक 3** पर संलग्न है।

**लिफाफे के ऊपरी भाग पर आफरकर्ता निम्नानुसार जानकारी अंकित करेगे :**

1. औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा ( रोपण सामग्री )परिशिष्ट क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 10 के अनुसार सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना है। नियत तिथि 25.06.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व बाक्स (जो इस निगम मुख्यालय में रखा जाएगा) में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
  2. **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे।**
5. **सेंपल प्रस्तुत किये जाना :**  
परिशिष्ट क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेख अनुसार।
6. **सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अमान्य किया जाएगा।**  
निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त आफर को अमान्य किया जावेगा।
7. **संकल्प धन राशि :**  
रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ट क्रमांक 5 बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार होगी) आन लाईन प्रस्तुत करना आवश्यक है। **संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा।**  
पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।
8. **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना**  
संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
  1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
  2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
  3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।
  4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार
9. **धरोहर राशि :**
  - (अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू रहने तक जमा रहेगी।
  - (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।



(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

- (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर धरोहर राशि जप्त की जा सकेगी किन्तु यदि क्रेता विभाग निर्धारित समय सीमा में वृद्धि कर सामग्री को स्वीकार करता है तो ऐसी प्रदायगी मान्य की जा सकेगी।
- (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में
- (3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो।
- (4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

**10. ऑफर की वैधता :**

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो।

**11. रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर जो दिनांक **25.06.2019 अपरान्ह 2 बजे** तक वेबसाईट पर अपलोड किये जा सकेंगे तथा जिनकी हार्ड प्रति निगम मुख्यालय में रखे बाक्स में इसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त होंगी, ऐसे आफरकर्ता के तकनीकी योग्यता संबंधी लिफाफा उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक 26.06.2019** अपरान्ह 3.30 बजे खोला जाएगा।

परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोले जाएंगे, खोलने की दिनांक निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। ऑफरकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट 12 में उपलब्ध कराए गए ई-मेल एड्रेस पर भी इसकी सूचना दी जाएगी

**रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।**

**12. दरें स्वीकार की जाना :**

- 12.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।
- 12.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें।

**13. अनुबंध का निष्पादन—**

- (अ) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव दिया गया है तथा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 9,10) में राशि रूपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे आफरकर्ता जिन्हे प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है, को " प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है " बाबत सूचना निगम को ई मेल एवं हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अनुबंध निष्पादित करने की सूचना चयनित ऑफरकर्ता को दी जावेगी एवं ऐसी सूची निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी।

- (ब) जिन आफरकर्ताओं की दरों को स्वीकार किया गया है तथा ऐसे आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रैक्ट आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfeit) कर लेगा ।
- (स) रेट कान्ट्रैक्ट आफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से 31.03.2020 अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेगी ।
- (द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा**
14. प्रदाय की प्रक्रिया –
- (अ) परिशिष्ट क्रं.-5 में आदेश जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रदाय आदेश में उल्लेखित अवधि में निर्धारित मापदण्ड की सामग्री एवं मात्रा का प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।
- (ब) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य संचालनालय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण अथवा क्रेता विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा ।
- (स) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक करेगा ।
- (द) बीज के प्रकरण में निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी निम्न परिस्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को रहेगा –
1. बीज भीगा होने पर
  2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर
  3. बीज घुना होने की दशा में
  4. वांछित पैकिंग में न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में
15. **बिना आदेश** के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा ।
16. **सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा**
- (अ) प्रदाय आदेश निगम मुख्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे ।
- (ब) निर्धारित गुणवत्ता एवं आदेशित मात्रा की सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।
- (स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को यदि क्रेता विभाग प्राप्त करते हुए पावती देता है तो ऐसी प्रदायगी को मान्य किया जा सकेगा ।
- (द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली धरोहर राशि एवं प्रदायक के लंबित भुगतान योग्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा । साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

**17. आदेश की प्रक्रिया :**

- (अ) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (ब) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।
- (स) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
- (द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

**18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :**

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- (अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।
- (ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।
- (स) बीजों के लिये शर्त क्र 14 (द) में उल्लेखित परिस्थितियों में।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

**19. भुगतान :**

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करने की दशा में निगम मुख्यालय द्वारा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग की पावती एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा।
- (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो संज्ञान में आयी जानकारी की दिनांक से अनुबंध दिनांक के मध्य प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक द्वारा जमा धरोहर राशि एवं भुगतान योग्य लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत हैं।

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
23. प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेंगे।
25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के उप महाप्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 25.1 यदि किसी भी न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आर्बीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
26. निगम के प्रबन्ध संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

उप महाप्रबंधक(उद्यान)

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा 1 में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण

क्रमांक	विवरण
1	मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस ( सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।
2	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)
3	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.N.)
4	आन लाईन राशि जमा करना- <b>परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार</b>
5	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रु 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
6	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है (पृष्ठ क्रं. 1 से 22 तक तथा परिशिष्ट 1 से 11 तक )
7	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र की <b>मूल प्रति (original copy)</b> (परिशिष्ट क्रमांक 10)
8	वितरक होने की दशा में बीज विक्रय लायसेन्स की स्व प्रमाणित प्रति जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो
9	<b>परिशिष्ट क्रमांक 11 में वर्णित घोषणा पत्र</b>
10	विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के प्रदाय हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित बीज विक्रय के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । <b>पौधों के उत्पादन हेतु आफरकर्ता को नर्सरी का विवरण दिया जाना आवश्यक है, जिसमें नर्सरी की खसरा, नक्शा की स्व-प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी ।</b>

\* आवश्यकता होने पर अपलोड किये जाए

**वित्तीय आफर**

**परिशिष्ट क्रमांक 7** के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

## आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील लगाकर प्रपत्रों को अपलोड किया जाना आवश्यक है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील नही होने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।
2. परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. अर्हता संबंधी शर्त क्र. 1, शर्त क्र 4 (ड) तथा कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्त क्र. 4 (द) के अनुसार संकल्प धनराशि जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट 7 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
6. निर्धारित तिथि एवं समय तक अथवा इसके पूर्व रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।
8. लागू होने की दशा में बीजों को आयात संबंधी वैध इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फायटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाना आवश्यक होगी।

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी

1. इस आर सी ओ के अन्तर्गत औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के पौध, कन्द एवं बल्ब के दर आमंत्रित किये गये है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र०	औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री	विवरण
1.	पुष्प (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	ग्लार्डिया, ग्लेडूलस, कारनेशन, जरबेरा, काइसेनथेमम, रजनीगंधा, गुलाब देसी (ग्राफटेड), एस्टर, गेंदा (ओ.पी.), लीलि, चंपा, एकजोरा, बोगनबेलिया इत्यादि ।
2.	औषधीय (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	अश्वगंधा, अजवाइन, अकरकरा, अर्जुन, अशोक, आंवला (बीज), बच, बैल, बहेडा, ग्वारपाठा, हर्षा, इसबगोल, मेंथा, केवकंद, कलिहारी, कचनार, केंवाच, मूसली, महुआ, रतनजोत, सतावर, सनाय, सौंफ, तुलसी, कालमेघ, चन्द्रसूर, वज्रदंती, सर्पगंधा, स्टीविया, वनिला इत्यादि ।
3.	सुगंधित (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	सिट्रेनोला, लेमनग्रास, खस, पामारोजा, जामारोजा, मुश्कदाना, शिकाकाई इत्यादि ।
4.	वानिकी (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	बबूल (देसी/आस्ट्रेलियन/इजराईली), सुबबूल अगस्ती, अगैव, बांस, गुलमोहर, सिरस, कंदम्ब, लुर्सन, इमली, यूकेलिप्टस, नीम, रामझाडू, प्रोसेफिस, सागौन, करंज, खमार, सुडान, ग्रास, दीनानाथ घांस, एम.पी. चरी, मक्का (अफ्रीकन टाल) सनहेम्प, ढेचा, सागौन, (रूटसूट/पौधे), केलाकंद, शीशम, पीपल, अरंडी जंगली, खैर सफेद/देशी, बरसीम इत्यादि ।

2. औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री के बीज, एवं पौध/कन्द के वांछित मापदण्ड निम्नानुसार है :

**1.बीज**

क्र.	नाम	मापदंड	न्यूनतम अंकुरण
1	ग्लार्डिया	बीज साफ एवं सूखा हो ।	80 %
2	ग्लेडुलस	बल्ब से 10 12, से.मी. डार्मेन्सी ब्रेक हो । काला न हो ।	90 %
3	मेरीगोल्ड ओ.पी.शंकर	बीज साफ हो ।	80 %
4	गुलदावदी(कायसेमथेमम)	बीज साफ हो ।	80 %
5	इसबगोल	बीज गुजरात- 1 या गुजरात - 2 वेरायटी का हो	80 %
6	अश्वगंधा	बीज जवाहर किस्म अनुशंसित है ।	80 %
7	सनाय	बीज साफ सूखा हो ।	90 %
8	अकरकरा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
9	सतावर	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
10	वज्रदंती	बीज साफ एवं सूखा हो ।	60 %
11	बहेडा	बीज सूखा एवं साफ हो ।	80 %
12	रतनजोत	बीज साफ सूखा हो ( जटरोपा करकस वेरायटी अनुशंसित है)	90 %

13	अजवाईन	बीज खुरासानी आई.सी.66, एच.एम.आई.वेरायटी	80 %
14	कोंच (केवांच)	बीज बिना रोये वाली जाति का हो । बीज सूखा एवं साफ हो	90 %
15	पामारोजा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	60 %
16	मुश्कदाना	बीज 1 साल से अधिक पुराना न हो ।	80 %
17	बबूल देशी	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
18	बबूल आस्ट्रेलियन	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
19	लूसर्न	बीज साफ हो ।	80 %
20	बबूल इजरायली	बीज साफ हो ।	40 %
21	काला सिरिस	बीज साफ हो ।	75 %
22	कदम्ब	बीज साफ हो ।	50 %
23	कचनार	बीज साफ हो ।	75 %
24	गुलमोहर	बीज साफ हो ।	85 %
25	इमली	बीज साफ हो ।	60 %
26	पेन्डूला अशोक	बीज साफ हो ।	40 %
27	नीम	बीज साफ हो ।	80 %
28	कारनेसन	बीज साफ हो ।	80 %
29	एस्टर	बीज साफ हो ।	80 %
30	महुआ	बीज साफ हो ।	80 %
31	तुलसी	बीज साफ हो ।	80 %
32	अर्जुन	बीज साफ हो ।	80 %
33	शिकाकाई	बीज साफ हो ।	80 %
34	रोसाघास	बीज साफ हो ।	80 %
35	ढेचा	बीज साफ हो ।	80 %
36	सनहेम्प	बीज साफ हो ।	80 %
37	स्टायलो हमाटा	बीज साफ हो ।	40 %
38	बरसीम	बीज साफ हो ।	80 %

## 2. पौध/कंद

क्र.	नाम	मापदंड
1	बच	राईजोम हरा हो । लंबाई लगभग 5 से.मी, कम से कम एक आंख होना चाहिए
2	मूसली सफेद	कंद लगभग 5-10 ग्राम की फिंगर के साथ क्राउन का कुछ हिस्सा आवश्यक है । कंद गीला हो ।
3	काली मूसली	कंद का वजन लगभग 20 ग्राम हो । जिसमें एक आंख अवश्य हो ।
4	मेंथा	सकर्स हरा हो, फंगस रहित हो काला न हो, अनुशंसित वेरायटी हिमालय या कोशी
5	कलिहारी	कंद का वजन लगभग 50 से 60 ग्राम । कंद हरा हो ।
6	केओकंद	कंद जिसमें 2 कलिया (आंख) कम से कम हो ।
7	छोटा हर्षा	पौधे की ऊंचाई कम से कम 1फुट हो । आयु लगभग 1 वर्ष । पौधे में लगभग 3 पत्तिया हो । पौधा जीवित हो । बीज साफ एवं सूखा हो ।
8	कचनार	पौधा, ऊंचाई लगभग 1 फुट हो । उम्र लगभग 1 वर्ष हो ।
9	गुलाब शंकर (बडेड)	पौधा की ऊंचाई कम से कम लगभग 1 से 1 1/2 फुट हो, मोटाई लगभग 5 एम.एम.हो बडेड हो, पालीबेग 6" X 8" हो, पौधा जीवित हो
10	लेमनग्रास	स्लिप के साथ जड़ का कुछ हिस्सा भी होना चाहिए मूल पौधा 1 साल पुराना हो ।
11	जावा सिन्ट्रोनेला	स्लिप, 1 वर्ष पुरानी जुट्टे का हो ।



12	रामझाडु	स्लिप लगभग 3 से.मी. लंबी हो ।
13	बांस सादा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
14	बांस कटंगा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
15	जरबेरा सिंगल	पौधे ऊंचाई 4"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 8-10 पत्तिया हो ।
16	जरबेरा डबल	पौधे ऊंचाई 4"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 8-10 पत्तिया हो ।
17	ट्यूबरोज डबल/सिंगल	कंद लगभग 1" व्यास व 2" लंबा हो । फंगस न हो । कंद गीला हो
18	गुलाब लोकल हैदराबादी	पौध लगभग 1 से 1 1/2 फुट ऊंचा हो । पौधा जीवित हो । ब्रांचेस लगभग 2 से 3 हो ।
19	लिली	बल्ब 10 से 12 से.मी. हो । डार्मेन्सी ब्रेक हो ।
20	खस	स्लिप जड सहित हो ।
21	अगैव	सकर्स फंगस रहित हो तथा बदरंग न हो ।
22	जास्मिन (मोगरा)	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उँचाई का हो ।
23	यूकेलिप्टस	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उँचाई का हो ।
24	ग्वारपाठा	पौधे ऊंचाई 4"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 4-5 पत्तिया हो ।
25	केलाकंद	न्यूनतम 500 ग्रा. बजन का ताजा कंद होना चाहिये ।

3. आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य राशि रूपये 5900.00 (रूपए पांच हजार नौ सो मात्र) \*

4. संकल्प धन राशि – राशि रूपए 1,00,000.00 (रूपए एक लाख मात्र) \*

\* क्रमांक 3 एवं 4 में उल्लेखित राशि आन लाईन जमा करना है तथा लिफाफे के उपर "आर. सी.ओ.क्रमांक, सामग्री का नाम एवं ऑफरकर्ता के नाम एवं पते का पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक है ।

5. सेम्पल प्रस्तुत करना :

आफर की गई सामग्री के सेम्पल प्रस्तुत करना आवश्यक होंगे ।

6. आदेश जारी करने के लिए अधिकृत – निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ।

## प्रदाय के लिये रेट कान्ट्रैक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु आफरकर्ता की आहर्ताएं

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्तें पूरी करता हो :-

- (अ) 1. विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के बीज (Planting Material) के उत्पादक/विक्रेता अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये वितरक जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो ।
2. विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के प्रदाय हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित बीज विक्रय के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । पौधों के उत्पादन हेतु आफरकर्ता को नर्सरी का विवरण दिया जाना आवश्यक है, जिसमें नर्सरी की खसरा, नक्शा की स्व-प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी ।
- (ब) बीज वितरक होने की दशा में निगम के आरसीओ में भाग लेने हेतु प्रिंसिपल कम्पनी द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र होना आवश्यक है । (अधिकार पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना होगा)
- (स) आयातीत बीज होने की दशा में आयात से संबंधित फाईटोसेनेटरी सर्टिफिकेट एवं आफर की गई सामग्री के संबंध में मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली (ICAR) द्वारा मध्य प्रदेश के लिये अनुशंसित सामग्रियों को ही स्वीकार किया जाएगा ।
- (द) आफरकर्ता का पंजीयन आयकर विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग में होना आवश्यक है, जिससे संबंधित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।
- (फ) कंद, बल्व एवं पौधों की दरें उसी स्थिति में मान्य की जावेगी जब आफरकर्ता द्वारा निम्न जानकारी आरसीओ के साथ संलग्न की जावेगी :-
1. आफरकर्ता द्वारा जिन नर्सरी से सामग्री क्रय की जावेगी उसका विस्तृत विवरण मय पंजीयन (यदि शासन द्वारा किया जाता हो तो) खरसा, नक्सा एवं क्रय हेतु किये अनुबंध की प्रति ।
2. कंद, बल्व एवं पौधे हेतु निगम को उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा का स्पष्ट माहवार उल्लेख किया गया हो ।
- (ज) उद्यानिकी विभाग को प्रदाय किये जाने वाले बीज के संबंध में आफरकर्ता द्वारा स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है कि उनके द्वारा बीज किस उत्पादक/प्रदायक से क्रय किया जा रहा है तथा उक्त क्रय के संबंध में देयक अथवा संबंधित प्रदायक/उत्पादक द्वारा दिया गया अधिकार पत्र संलग्न किया जाना होगा ।
- (झ) प्रमाणित ढेचा, बरसीम अथवा अन्य सामग्री हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दरों को विचारक्षेत्र में रखा जायेगा एवं निगम द्वारा मांगे जाने पर प्रमाणीकरण हेतु उपयोग में लिये गये आधार बीज से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाना होगी । साथ ही प्रमाणित बीजों के भंडारण स्थल की जानकारी भी दी जाना आवश्यक है ।

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल  
31.03.2020 एवं आगे के लिये  
**वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)**

01. NAME OF THE OFFERER .....

**PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)**

Sl. No.	Item Description	VERITY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
बीजों के लिये									
1	ग्लार्डिया		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
2	ग्लेडुलस		1.000	KG					
3	मेरीगोल्ड ओ.पी.शंकर		1.000	KG					
4	गुलदावदी(क्रायसेमथेमम)		1.000	KG					
5	इसबगोल		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
6	अश्वगंधा		1.000	KG					
7	सनाय		1.000	KG					
8	अकरकरा		1.000	KG					
9	सतावर		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
10	वज्रदंती		1.000	KG					
11	बहेडा		1.000	KG					
12	रतनजोत		1.000	KG					
13	अजवाईन		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
14	कोंच (केवांच)		1.000	KG					
15	पामारोजा		1.000	KG					
16	मुश्कदाना		1.000	KG					

17	मुश्कदाना		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
18	बबूल देशी		1.000	KG					
19	बबूल आस्ट्रेलियन		1.000	KG					
20	लूसर्न		1.000	KG					
21	बबूल इजरायली		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
22	काला सिरिस		1.000	KG					
23	कदम्ब		1.000	KG					
24	कचनार		1.000	KG					
25	गुलमोहर		1.000	KG					
26	इमली		1.000	KG					
27	पेन्डूला अशोक		1.000	KG					
28	नीम		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
29	कारनेसन		1.000	KG					
30	एस्टर		1.000	KG					
31	महुआ		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
32	तुलसी		1.000	KG					
33	अर्जुन		1.000	KG					
34	शिकाकाई		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
35	रोसाघास		1.000	KG					
36	ढेचा		1.000	KG					
37	सनहेम्प		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
38	स्टायलो हमाटा		1.000	KG					
39	बरसीम		1.000	KG					

पौधों एवं कन्द के लिये

1	बच		1.000	NO					
2	मूसली सफेद		1.000	NO					
3	काली मूसली		1.000	NO			0.00	0.00	INR Zero Only
4	मेंथा		1.000	NO					
5	कलिहारी		1.000	NO					
6	केओकंद		1.000	NO			0.00	0.00	INR Zero Only
7	छोटा हर्षा		1.000	NO					
8	कचनार		1.000	NO					
9	गुलाब शंकर (बडेड)		1.000	NO					
10	लेमनग्रास		1.000	NO					
11	जावा सिन्ट्रोनेला		1.000	NO			0.00	0.00	INR Zero Only
12	रामझाडु		1.000	NO					
13	बांस सादा		1.000	NO					
14	बांस कटंगा		1.000	NO					
15	जरबेरा सिंगल		1.000	NO					
16	स्टीविया पौधा		1.000	NO					
17	ट्यूबरोज डबल/सिंगल		1.000	NO					
18	गुलाब लोकल हैदराबादी		1.000	NO					
19	लिली		1.000	NO					
20	खस		1.000	NO					
21	अगैव		1.000	NO					
22	जास्मिन (मोगरा)		1.000	NO					
23	यूकेलिप्टस		1.000	NO					
24	ग्वारपाठा		1.000	NO					
25	केलाकंद		1.000	NO					

**:: अनुबंध ::**

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स ..... की ओर से श्री ..... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर ..... प्रदाय हेतु दिनांक ..... को रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये गये एवं प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र निगम की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए एवं रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिया गया है । रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से प्रदायक की रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की ..... हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है एवं प्रदायक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम के माध्यम से प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक .....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर व संलग्नक जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

प्रदायक	उप महाप्रबंधक (उद्यान)
गवाह : 1.	गवाह : 1.

औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा ( रोपण सामग्री )

प्रदायक का नाम एवं पता .....

.....

फोन नम्बर .....

फैक्स नम्बर .....

मोबाईल नं. ....

क्र०	बीज/कन्द/पौध का नाम	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर  
एवं सील

Authority to submit Tender  
(On Producer company's letterhead)  
(if applicable)

To,

The Managing Director  
M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.  
Panchanan Bhawan, 3rd Flore ,  
Malviya Nagar,  
Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I.....Designation ..... hereby authorize M/s  
.....to submit Rate Contract Offer M.P. State Agro  
Industries Corporation Ltd on behalf of the company due on 25-6-2019

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned  
in Tender Document.

I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company.

If an order is placed with the authorized company as above, the company undertakes to supply the  
order as per terms and condition of RCO.

(Signature)

Name  
Designation  
Tel No  
Mobile No  
E mail



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

दिनांक 31.3.2020 तक एवं आगे की अवधि के लिये निगम के माध्यम से औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा ( रोपण सामग्री )के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं .....मेसर्स .....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स .....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ..... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ...../— एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये ...../— प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT  
CORPN.LTD.  
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL**

**DETAILS OF THE OFFERER**

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	----- -----
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Fax _____
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date _____
5	GST Registration number.	
6	<b>Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum &amp; Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).</b>	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	_____
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
10	<b>Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.</b>	-----
11	Do you have any associate company(s)?	-----
12	<b>Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.</b>	-----
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	-----
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	-----
15	Surety Money (S.M.D.) for registration	Amount : DD No. :                      Date :

Signature of Offerer